न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—197/2014/225 (2014/00043)

1. रामचन्द्र पुत्र हरजी, जाति जाट,
2. बन्ना पुत्र हरजी, जाति जाट,
3. श्योजी पुत्र हरजी, जाति जाट,

सभी निवासीगण गुजरवाड़ा, केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामदेव पुत्र माधू, जाति धोबी, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— कमला बेवा स्व0 रामदेव, जाति धोबी,
   1/2— मुकेश पुत्र स्व0 रामदेव, जाति धोबी,
   1/3— राकेश पुत्र स्व0 रामदेव, जाति धोबी,
   1/4— आशा पुत्री स्व0 रामदेव, जाति धोबी,
   1/5— ममता पुत्री स्व0 रामदेव, जाति धोबी,
   समस्त निवासी ग्राम केकड़ी वार्ड नं0 23, अजमेर ।
2. प्रहलाद पुत्र माधू, जाति धोबी, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— प्रेम बेवा प्रहलाद,
   2/2— सुरेश पुत्र प्रहलाद,
   समस्त निवासी केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
3. मदन पुत्र माधू, जाति धोबी,
4. शंकर पुत्र माधू, जाति धोबी,
5. कैलाश पुत्र माधू, जाति धोबी,
6. रामप्यारी पुत्री माधू (मृतक) जरिये वारिसानः—
   6/1— पूजा पुत्री रामप्यारी,
   6/2— आरती पुत्री रामप्यारी,
   6/3— डिम्पल पुत्री रामप्यारी,
   6/4— शुभम पुत्र रामप्यारी,
   निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये मुख्य सचिव, जयपुर ।
8. भूमि अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत नागौर, मुख्यालय अजमेर ।
9. जिला कलक्टर, अजमेर ।
10. तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
11. पटवारी हल्का केकड़ी, जिला अजमेर ।
12. रतन पुत्र हरजी, जाति जाट ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 25.3.2014 अंतर्गत प्रकरण संख्या 184/2011.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1/2, 1/3, 2/1, 2/2 एवं 3 से 5.
3. रेस्पो0 संख्या 1/1, 1/5, 3/4, 6/1 से 6/4, 11 व 12 अनु0

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः– 20·7·2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 25.3.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 व 183, 92–ए व 209राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि मौजा केकड़ी जिला अजमेर के खसरा नंबर 5004/8644 रकबा 0.49 है0 किस्म बारानी जमाबंदी में अप्रार्थीगण संख्या 6 से 11 के नाम दर्ज है जो गलत है । उक्त आराजी के साबिक खसरा नंबर 683 जमाबंदी संवत् 1349 में सरकारी दर्ज था जिस पर 100 वर्षो से अधिक समय से केकडी एकलसिंहा देवगांव जाने वाला आम रास्ता है । रास्ता वर्तमान में ग्रामवासियान के आने–जाने में काम में आ रहा है । अप्रार्थी संख्या 6 से 11 द्वारा उक्त भूमि कभी भी काश्त नहीं की गई तथा ना ही उनका कब्जा है । अतः जनहित में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त खसरा नंबर की भूमि सरकारी घोषित किया जाकर अप्रार्थी संख्या 6 से 11 का नाम विलोपित किया जावे साथ ही निवेदन किया कि ताफैसला प्रतिवादीगण को मुआवजा राशि वितरण नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे । अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 25.3.2014 को निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि हाल खसरा नंबर 5004/8644 रकबा 0.49 है0 पूर्व खसरा नंबर 683 का भाग है जो वर्षो से सरकारी भूमि दर्ज रही है व इस भूमि पर केकड़ी से एकललिंहा देव गांव जाने वाला रास्ता स्थित है जो वर्तमान में चालू होकर ग्रामवासियों के आने–जाने के काम में आ रहा है। रेस्पो0 संख्या 6 ने उक्त भूमि को कभी काश्त नहीं किया व सेटलमेंट विभाग ने रास्ते की भूमि पर गलत तौर पर खसरा नंबर 5004/8644 पैमूद कर दिया व इस गलत इंद्राज के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 उक्त भूमि पर मुआवजा प्राप्त करने हेतु आमादा है । इस तथ्य की पुष्टि राजस्व अधिकारी तहसीलदार ने अपने जवाब में की है । उक्त भूमि पर अब केकड़ी से केकड़ी–जयपुर बाईपास प्रस्तावित है जिसका मुआवजा गलत तौर पर गलत इंद्राज की आड़ में अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 से 6 प्राप्त करने की कोशिश कर रहे है जिसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है किन्तु अधी0न्याया0 ने गैर कानूनी तौर पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में भारी भूल की है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार भूमिधारी के जवाब प्रार्थना पत्र को पढ़े बिना ही अपने निर्णय में यह लिखा है कि भूमिधारी ने कहीं पर भी भूमि को सिवायचक करने बाबत् कोई कथन नहीं किया है, जबकि जवाब प्रार्थना पत्र में उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि आराजी मुतनाजा सरकारी भूमि है जो गलत तौर पर जमाबंदी में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज कर दी गई है । अतः तहसीलदार के जवाब को सही प्रकार नहीं पढ़कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में कानून के विपरीत निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । बहस में आगे

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर